भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1335
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या

1335. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्रति मिलियन जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : वर्तमान में, देश में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात प्रति दस लाख जनसंख्या पर 21 न्यायाधीश है । किसी विशिष्ट वर्ष में प्रति दस लाख जनसंख्या के लिए न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की गणना करने के लिए, विधि और न्याय मंत्रालय ने 2011 की जनगणना (1210.19 दस लाख) के अनुसार जनसंख्या डाटा और वर्ष 2023 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या के आधार पर मानदंड का उपयोग किया है ।

तथापि, प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की राज्य-वार सूची केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है ।

(ख) : इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2017) 3 एससीसी 658] के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय नें संप्रेक्षित किया कि उनका निर्णय ऑल इंडिया न्यायाधीश एसों. (3)ब. भारत संघ में 21.03.2022 को दिया गया था यद्यपि विधि आयोग की 120वीं रिपोर्ट के विचारों का समर्थन करते समय निदेश दिया कि प्रति दस लाख पर पचास न्यायाधीशों की जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीश प्राप्त किए जाए । इसी प्रकार का संप्रेक्षण पी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4एससीसी 478 और ब्रिजमोहनलाल बनाम भारत संघ (2002) 5 एससीसी 1 जैसे मामलों में किया गया था ।

(ग) : जहां तक प्रति दस लाख न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निधियां संबंद्ध है उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सतत और सहयोगकारी प्रयोग है । इसके अतिरिक्त, जिला और अधीनस्थ

न्यायालयों के मामलें में, उचित संख्या में न्यायाधीशों की आवश्यकता और रिक्तियों को भरने की परिणामी अपेक्षा संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है ।

तथापि, निरंतर प्रयासों के कारण, न्यायाधीशों की पदसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या वर्ष 2014 में 31 से बढ़कर 34 हो गई है, वर्तमान में कोई रिक्ति नहीं हैं । वर्ष 2014 से, सरकार ने उच्चतम न्यायालय में 62 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं जो एक वर्ष में लगभग 6 न्यायाधीश की संख्या हो जाती है ।

उच्च न्यायालयों के मामले में, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या 2014 में 906 से बढ़कर 31.12.2023 तक 1114 न्यायाधीश हो गई है । वर्ष 2014 से उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के कुल 208 नए पद सृजित किए गए है । वर्ष 2014 से कुल 968 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जो प्रति वर्ष लगभग 103 न्यायाधीशों तक हो जाती है ।

जिला न्यायपालिका की स्वीकृत पदसंख्या वर्ष 2014 में 19,518 न्यायिक अधिकारियों से बढ़कर 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार 25,439 न्यायिक अधिकारी हो गई है इसी प्रकार न्यायाधीशों की कार्यशील पदसंख्या भी वर्ष 2014 में 15,115 से बढ़कर 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार 20,011 हो गई है ।

****